



2026:AHC:41413

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अंतर्गत धारा 482 आवेदन संख्या - 10810 वर्ष 2018

देविंदर मोहन सिंह एवं अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : मुख्तार आलम

प्रतिपक्षी(ओं) के अधिवक्ता : आशीष कुमार गुप्ता, शासकीय अधिवक्ता, रूपक चौबे

न्यायालय संख्या - 83

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

1. सूची पुनः पुकारी गई।
2. आवेदकों के लिए श्री मुख्तार आलम, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री यावर मुख्तार, विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त, को सुना गया।
3. संशोधित सुनवाई में भी प्रतिपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। पिछली तारीख को भी प्रतिपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं था। प्रतिपक्षी संख्या 2 को कई बार प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय दिया गया, लेकिन अब तक सिवाय विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के कोई प्रति-शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है।
4. धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वर्तमान आवेदन याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 323, 504, 506, 306, 511, 108 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 3/4 के तहत थाना सिगरा, जिला वाराणसी में मुकदमा अपराध संख्या 344 वर्ष 2014 से उद्भूत आपराधिक वाद संख्या 7243 वर्ष 2015 (राज्य बनाम इंद्रजीत सिंह और अन्य) की पूरी कार्यवाही को और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी की न्यायालय में लंबित है। आरोप पत्र संख्या 513 वर्ष 2017 दिनांक 20.11.2027 और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा पारित संज्ञान आदेश दिनांक 02.01.2018 को भी रद्द करने की प्रार्थना के साथ याचिका दायर की है।

5. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 323, 504, 506, 306, 511, 108 और दहेज अधिनियम की धारा 3/4 के तहत सूचनाकर्ता द्वारा आवेदकों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट सिगरा थाना, जिला वाराणसी में 23.08.2014 को सुबह लगभग 7.10 बजे दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आवेदकों और सूचनाकर्ता की बेटी के पति, अमन जोत सिंह वासूर और परिवार के अन्य सदस्यों ने दहेज की मांग के संबंध में पीड़िता को प्रताड़ित किया। जब पीड़िता अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया में थी, तब आवेदक भी वहीं ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। विवेचना के बाद, आवेदकों के खिलाफ प्रथम दृष्टया वाद स्थापित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं मिला, परिणामस्वरूप, प्रथम विवेचना अधिकारी ने विवेचना बंद कर दी, लेकिन वाराणसी के पुलिस अधीक्षक के मौखिक निर्देशों पर, विवेचना किसी अन्य विवेचना अधिकारी को सौंप दी गई, जिसने वर्तमान आवेदकों के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया और जिसके आधार पर विद्वान अवर न्यायालय ने 20.06.2015 को संज्ञान लिया और समन जारी किया।

6. यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक पीड़िता के सास-ससुर हैं, जिनका नाम पीड़िता के पिता द्वारा वाराणसी और ऑस्ट्रेलिया में दहेज की मांग और उत्पीड़न के झूठे आरोपों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज कराया गया था, जबकि आवेदकों द्वारा शिकायतकर्ता की बेटी के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। बहू अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। दोनों के बीच वैवाहिक विवाद था, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया की सिविल कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की गई थी। परिवार न्यायालय ने 27.11.2015 के आदेश द्वारा तलाक की डिक्री भी जारी कर दी थी, जिसके बाद पति-पत्नी (पीड़िता) का संबंध समाप्त हो गया। इन आवेदकों द्वारा पीड़िता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को कोई चोट नहीं पहुंचाई गई थी। दहेज की मांग और उत्पीड़न के सामान्य आरोप हैं, जिनके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। प्रथम विवेचना अधिकारी को भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित अपराध को साबित करने के लिए आवेदकों के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला, लेकिन वाराणसी के पुलिस अधीक्षक के मौखिक निर्देशानुसार, विवेचना किसी अन्य विवेचना अधिकारी को सौंप दी गई और आरोप पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गीता मेहरोत्रा और कहकशान कौसर उर्फ सोनम और अन्य के मामलों में यह माना है कि जहां रिश्तेदारों के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए जाते हैं और दहेज की मांग और उत्पीड़न के संबंध में कोई अन्य ठोस सबूत नहीं होता है, तो यह विधि का दुरुपयोग माना जाएगा और विधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसी प्रथा पर रोक लगाई जानी चाहिए, इसलिए आवेदकों के खिलाफ मामले की पूरी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया जाता है।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि इस मामले में याचिकाकर्ता, शिकायतकर्ता की पुत्री के ससुर और सास हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में, दहेज की मांग और शिकायतकर्ता की पुत्री के उत्पीड़न के आरोप में वर्तमान याचिकाकर्ताओं सहित सात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था। अन्य आरोपी व्यक्ति अमन जीत सिंह (पति), गुरमीत (जेठ), सुमित सलूजा (जेठानी), इंद्रजीत मान (मामा) और रोमी साहनी (मामी) हैं। अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र विवेचना अधिकारी, एसआई अभय राज मिश्रा द्वारा अलग से दाखिल किया गया था और वर्तमान याचिकाकर्ताओं को इसमें फंसाना झूठा पाया गया था। इस तथ्य का उल्लेख आरोपपत्र संख्या 51-ए/17 दिनांक 07.05.2017 में किया गया है। परिणामस्वरूप, वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए मौखिक निर्देशों के अनुसार, 01.06.2017 को विवेचना अन्य अधीनस्थ सहायक अधिकारी गोपाल जी गुप्ता को सौंपी गई, जैसा कि उन्होंने एससीडी संख्या 28 में उल्लेख किया है। विवेचना पूरी करने के बाद, उन्होंने उन्हीं गवाहों के विस्तृत बयान लिखने के बाद वर्तमान आवेदकों के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जब पूर्व विवेचना अधिकारी अधीनस्थ सहायक अधिकारी अक्षय राज मिश्रा द्वारा सूचनाकर्ता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे, तब वर्तमान आवेदकों के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई वाद नहीं बनता था। परिणामस्वरूप, उन पर लगाया गया आरोप झूठा होने के कारण, उन्हें बरी कर दिया गया और 07.05.2017 को अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदकों द्वारा दहेज की मांग और पीड़िता के उत्पीड़न के सामान्य आरोप और ऑस्ट्रेलिया की सिविल न्यायालय द्वारा उपरोक्त रूप से पारित डिक्री और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामलों में निर्धारित कानून के संबंध में तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

9. यह ध्यान देने योग्य है कि विवेचना पूरी होने के बाद विवेचना अधिकारी द्वारा अंतिम सूचना दाखिल किए जाने के बाद, धारा 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस द्वारा आगे की विवेचना की जा सकती है और यदि विवेचना अधिकारी को इस संबंध में पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है तो पूरक पुलिस सूचना दाखिल की जा सकती है।

10. वर्तमान मामले में, बाद के विवेचना अधिकारी ने वाराणसी के पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश पर कार्रवाई की और उसके बाद, उन्होंने उन गवाहों के अतिरिक्त बयान दर्ज किए जिनके बयान पहले ही प्रथम विवेचना अधिकारी द्वारा दर्ज किए जा चुके थे और फिर पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़ित के उत्पीड़न और दहेज की मांग के संबंध में वर्तमान आवेदकों के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं बताया गया है, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों, जिनमें जेठ, जेठानी मामा और मामी शामिल हैं, के खिलाफ सामान्य आरोप हैं, जिनका दहेज की मांग में कोई हित नहीं हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 27.11.2015 के आदेश द्वारा पति-पत्नी के बीच दिए गए तलाक के फैसले से भी पता चलता है कि पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद था, जिसके कारण उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में तलाक की याचिका दायर की, जिसके परिणामस्वरूप विवाह भंग हो गया और अब वे अलग रह रहे हैं।

11. **प्रीति गुप्ता और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य के वाद में; (2010) 7 एससीसी 667** में यह देखा गया:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"32. यह आम अनुभव है कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत अधिकांश शिकायतें उचित विचार-विमर्श के बिना तुच्छ मुद्दों पर आवेश में आकर दर्ज की जाती हैं। हमें ऐसी कई शिकायतें मिलती हैं जो वास्तविक भी नहीं होतीं और कुटिल इरादे से दर्ज की जाती हैं। साथ ही, दहेज उत्पीड़न के वास्तविक वाद की संख्या में तेजी से वृद्धि भी गंभीर चिंता का विषय है।"

12. गीता मेहरोत्रा और अन्य बनाम मामले में... उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2012) 10

एससीसी 741 में यह देखा गया था:-

"21. इस स्तर पर जी.वी. राव बनाम एल.एच.वी. प्रसाद और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए एक उपयुक्त अवलोकन पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा, जो (2000) 3 एससीसी 693 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें एक वैवाहिक विवाद में भी, इस न्यायालय ने यह माना था कि उच्च न्यायालय को वैवाहिक विवाद से उत्पन्न शिकायत को रद्द कर देना चाहिए था, जिसमें सभी परिवार के सदस्यों को वैवाहिक मुकदमे में घसीटा गया था, जिसे रद्द कर दिया गया था।

माननीय न्यायाधीशों ने उसमें यह टिप्पणी की थी, जिससे हम पूरी तरह सहमत हैं कि:

"हाल के दिनों में वैवाहिक विवादों में भारी वृद्धि हुई है। विवाह एक पवित्र समारोह है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवा जोड़े को जीवन में व्यवस्थित होने और शांतिपूर्वक रहने में सक्षम बनाना है। लेकिन छोटे-छोटे वैवाहिक झगड़े अचानक भड़क उठते हैं जो अक्सर गंभीर रूप ले लेते हैं और जघन्य अपराधों में परिणत होते हैं, जिनमें परिवार के बड़े-बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। परिणामस्वरूप, जो लोग परामर्श देकर सुलह करा सकते थे, वे आपराधिक मामले में आरोपी बनाए जाने पर असहाय हो जाते हैं। वैवाहिक मुकदमों को प्रोत्साहित न करने के कई कारण हैं, जिनका यहां उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि पक्षकार अपनी गलतियों पर विचार कर सकें और न्यायालय में लड़ने के बजाय आपसी सहमति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से समाप्त कर सकें, जहां मुकदमों के निपटारे में वर्षों लग जाते हैं और इस प्रक्रिया में पक्षकार विभिन्न न्यायालयों में अपने मामलों को आगे बढ़ाने में अपनी जवानी के दिन खो देते हैं। इस मामले में न्यायाधीशों का मत था कि न्यायालय ऐसे विवादों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे।“

13. इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने **कहकशान कौसर @ सोनम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 2022 लाइव लॉ (एससी) 141** में भी इसी प्रकार की टिप्पणियाँ की हैं।

14. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, पूर्व विवेचना अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सूचनाकर्ता और अन्य गवाहों के बयानों और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया वाद स्थापित न होने, और बाद के विवेचना अधिकारी द्वारा गवाहों के अस्पष्ट बयानों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि पति के परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ सामान्य और व्यापक आरोप हैं, जो अस्पष्ट और तुच्छ हैं, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां अपराध को आगे बढ़ाने में प्रत्येक आरोपी की भूमिका को स्पष्ट करना कठिन है। जहां पति के रिश्तेदारों के खिलाफ स्पष्ट आरोप का अभाव है, वह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

15. उपरोक्त वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, यदि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य और व्यापक हैं, तो उन पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, यदि आवेदकों को निचली न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि अंततः बरी होने की ओर ले जाने वाला आपराधिक मुकदमा भी आरोपी पर गंभीर आघात पहुँचाता है और इसलिए ऐसे अभ्यास को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

16. तदनुसार, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत आपराधिक विविध आवेदन स्वीकार किया जाता है और आपराधिक वाद संख्या 7243 वर्ष 2015 (राज्य बनाम इंद्रजीत सिंह और अन्य), धारा 498ए, 323, 504, 506, 306, 511, 108 भारतीय दंड संहिता और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना सिगरा, जिला वाराणसी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी की न्यायालय में लंबित वाद संख्या 344 वर्ष 2014 से उत्पन्न मामले में आवेदकों के खिलाफ पूरी कार्यवाही, आरोप पत्र संख्या 513 वर्ष 2017 दिनांक 20.11.2027 और संज्ञान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश दिनांक वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 02.01.2018 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है।

17 फरवरी, 2026

टी.एस

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।